उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–6,
संख्या– 105 /XXVII(6)-एक-917/2013/2020,
देहरादूनः दिनांक 06 फरवरी, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–92/XXVII(6)-एक-917/2013/2015, दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से राज्य में भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस योजना के अंतर्गत जन–साधारण को अधिक से अधिक सेवाओं का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से कोषागार/उपकोषागार से संबंधित जन सेवाओं को "कॉमन सर्विस सेन्टर" (CSC) के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त सुविधा को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाये जाने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में राज्य में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे "जीवन प्रमाण–पत्र" की चालू व्यवस्था के साथ–साथ विकल्प के रूप में तात्कालिक प्रभाव से **"ई–जीवन प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को भी समानान्तर रूप से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– **"ई–जीवन प्रमाण–पत्र"** पेंशनर/लाभार्थी द्वारा अपने निवास स्थान से निकटतम दूरी पर स्थित "कॉमन सर्विस सेंटर" (CSC) से अथवा कोषागारों/उपकोषागारों के माध्यम से ऑनलाईन के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से कियान्वित किये जाने के दृष्टिगत पेंशर्नस/लाभार्थी, कोषागार/उपकोषागार एवं कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय के कार्य दायत्वों एवं प्रकिया का निर्धारण निम्नवत किया जाता हैः–

(1) पेंशनर्स/लाभार्थीः–

ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था वैकल्पित रूप से वर्तमान व्यवस्था के साथ–साथ लागू की जा रही है। प्रदेश के समस्त पेंशनभोगी अपनी सुविधानुसार इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाईन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त कोषागारों/उपकोषागारों में जीवन प्रमाण पत्र की फिजीकल कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशनभोगी अपने घर से अथवा किसी भी नजदीकी "कामन सर्विस सेंटर" (CSC) या कोषागार/ उपकोषागार के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र **अपनी सेवानिवृत्ति के महीने के किसी भी दिन प्रस्तुत कर सकते** हैं। अपने घर से पी0सी0/मोबाईल की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने हेतु पेंशनभोगी के पास विन्डोज/एन्ड्रोइड आधारित उपकरण जिसमें इण्टरनेट की सुविधा एवं STQC प्रमाणित बायोमैट्रिक उपकरण उपलब्ध होना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता हैः–

1. जीवन प्रमाण की वेबसाईट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर उपलब्ध एप्लीकेशन डाउनलोड करें।
2. उक्त एप्लीकेशन को खोलने के उपरान्त अपना आधार नम्बर, पेंशन पेयमेण्ट ऑर्डर (पीपीओ), बैंक खाता, बैंक का नाम और अपने मोबाईल नम्बर दर्ज करायें।
3. बायोमैट्रिक डिवाईस की मदद से प्रमाणीकरण के उपरान्त डिजिटल प्रमाण पत्र जनरेट हो जायेगा।
4. डिजिटल प्रमाण पत्र के सफलतापूर्वक जनरेट होने के उपरान्त एक एस0एम0एस0 पेंशनभोगी के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर जीवन प्रमाण आई0डी0 प्राप्त हो जायेगा।
5. पेंशनभोगी https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाकर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को कभी भी जीवन प्रमाण आई0डी0 के माध्यम से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) कोषागार/उपकोषागार :–

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की वर्तमान व्यवस्था के साथ–साथ पेंशनभोगियों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत किया गया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों/उपकोषागारों द्वारा स्वीकार किये जायेंगे तथा सम्बन्धित पेशनभोगियों की पेंशन का भुगतान नियमानुसार सुचारू रूप से किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत डिजिटल प्रमाण पत्र की रिपोर्ट निगरानी हेतु

देखी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि की दशा में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालयः–

कोषागार निदेशालय द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से लागू आई0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन एन0आई0सी0 द्वारा विकसित जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ किया जायेगा, जिससे प्रदेश के समस्त पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से जनरेट करते हुए प्रस्तुत किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में कोषागारों/उपकोषागारों को ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत किये गये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की एक रिपोर्ट दे दी जायेगी, जिससे उनके स्तर से उक्त व्यवस्था की निगरानी रखी जा सकेगी।

3– उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक कोषागार अपने जनपदों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे तथा पेंशन भोगियों/लाभार्थियों के विभिन्न संगठनों को उक्त नवीनतम ऑनलाईन व्यवस्था से अवगत करायेंगे एवं पेंशनरों/लाभार्थियों को अपना ''जीवन प्रमाण–पत्र'' ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रोत्साहित एवं सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 105 /XXVII(6)-एक-917/2013/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरा नगर देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त व्यवस्था का निःशुल्क प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिकाधिक लाभार्थी/पेंशनर्स ''जीवित प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करने की उक्त नयी ऑनलाईन व्यवस्था से भिज्ञ हो सके तथा इसका उपयोग कर सकेंगे।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेंटर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
अनु सचिव।